इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013—भाद्र 22, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 6130-256-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 सितम्बर 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३३ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१३.

[दिनांक ७ सितम्बर, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १३ सितम्बर, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा २९२-ङ में, उपधारा (१), (२), (३) और (४) को क्रमश: उपधारा (२), (३), (४) और (५) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (२) के पूर्व निम्नलिखित नई उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) की धारा ६ के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, नगरपालिक क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अंतरणों या अंतरण के करार के ब्यौरे, प्रत्येक माह की समाप्ति पर, आयुक्त को, ऐसी रीति में संसूचित करेगा, जैसी कि विहित की जाए.''.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन. ३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३३९-ङ में, उपधारा (१), (२), (३) तथा (४) को क्रमश: उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (२) के पूर्व निम्नलिखित नई उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''(१) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) की धारा ६ के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, नगरपालिका क्षेत्र में भूखण्डों या भवनों के समस्त अंतरणों या अंतरण के करार के ब्यौरे, प्रत्येक माह की समाप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी को, ऐसी रीति में संसूचित करेगा, जैसी कि विहित की जाए.''.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 6131-256-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 33 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 33 OF 2013

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

[Received the assent of the Governor on the 7th September, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th September, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

PART I
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956
(NO. 23 OF 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

2. In Section 292-E of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act,1956 (No. 23 of 1956), sub-sections (1), (2), (3) and (4) shall be renumbered as sub-sections (2), (3), (4) and (5) respectively and before sub-section (2) as so renumbered the following new sub-section shall be inserted, namely :-

"(1) The Registrars and Sub-Registrars appointed under section 6 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) shall, at the end of every month, communicate details of all transfers or agreements to transfer of plots or houses in the municipal area, to the Commissioner in such manner as may be prescribed.".

PART II
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES
ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

3. In Section 339-E of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), sub-sections (1), (2), (3) and (4) shall be renumbered as sub-sections (2), (3), (4) and (5) respectively and before sub-section (2) as so renumbered, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(1) The Registrar and Sub-Registrar appointed under section 6 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) shall, at the end of every month, communicate details of all transfers or agreements to transfer of plots or houses in the municipal area, to the Competent Authority, in such manner as may be prescribed.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.